भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 384

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) में रोजगार आउटसोर्सिंग

384. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के अधिकांश उत्खनन, सुरक्षा, ओबी डंपिंग और परिवहन कार्य को आउटसोर्स किया गया है अथवा अस्थायी ठेकों पर निजी कंपनियों को सौंपा गया है तथा क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति है कि स्थानीय बेरोजगार युवा इन अनुबंध अवधियों के दौरान अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार इन कंपनियों के साथ नौकरी सुरक्षित कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति है कि स्थानीय बेरोजगार युवा इन कंपनियों में इन संविदा अवधियों के दौरान अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार नौकरियां प्राप्त कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि जब कोई ठेका समाप्त हो जाता है तो अक्सर एक नई कंपनी कार्यभार संभाल लेती है और उन्हीं कार्यों के लिए नए कामगारों को काम पर रख लेती है जिससे स्थानीय बेरोजगार युवाओं में काफी असंतोष पैदा हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या ठेके पर दिए गए अथवा आउटसोर्स किए गए कार्यों में लगे इन स्थानीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कोई मौजूदा नीति या कानून विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या मंत्रालय ऐसी कोई नीति या कानून मौजूद न होने की स्थिति में एमसीएल के भीतर ठेके अथवा आउटसोर्स की गई परियोजनाओं में लगे स्थानीय कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए विधान पुरःस्थापित करने पर विचार कर रहा है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी हां, कोयला उत्पादन, ओवरबर्डन (ओबी) हटाने और कोयले के परिवहन जैसी खनन गतिविधियों को अस्थायी ठेकों पर निजी कंपनियों को आउटसोर्स किया गया है। तथापि, महानदी

कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) का कोई सुरक्षा कार्य अस्थायी ठेके पर निजी कंपनियों को न तो आउटसोर्स किया जाता है और न हीं सौंपा जाता है।

चूंकि एमसीएल ओडिशा राज्य में काम कर रहा है, इसलिए यह ओडिशा सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है ताकि स्थानीय लोगों को उनके निम्नलिखित कौशल स्तर के अनुसार निजी कंपनियों में रोजगार प्रदान किया जा सके:

I. अकुशल और अर्ध-कुशल श्रेणी में स्थानीय लोगों के बीच से कुल आवश्यकता का न्यूनतम 90%
II. कुशल स्तर पर स्थानीय लोगों के बीच से न्यूनतम 60%
III. पर्यवेक्षी प्रबंधकीय स्तर पर स्थानीय लोगों के बीच से न्यूनतम 30%

(ख) : उपर्युक्त (क) में उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) : जब कभी संविदा में परिवर्तन होता है तो यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यरत मौजूदा संविदा कार्मिकों को, जहां तक संभव हो, इनकमिंग कांट्रेक्टर द्वारा रोजगार में प्राथमिकता दी जाए बशर्ते कि वे कर्त्तव्यों का संतोषजनक निष्पादन करें।

(घ) : स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए नीति पहले से ही मौजूद है जैसा कि उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है और ठेकेदार बदलने के मामले में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा से संबंधित स्थिति का उल्लेख उपर्युक्त (ग) के उत्तर मे किया गया है।

(ड.) : उपर्युक्त कार्यतंत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****